राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

19 JUN 2020

क्रमांकः–प.17(10)नविवि / ।।/2019 जयपुर, दिनांकः

19 JUN 2020

आदेश

कोविड–19 के मध्यनजर सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा की जाने वाली नीलामी के प्रकरणों में निम्न प्रकार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे :–

1. नीलामी की दिनांक से 30 दिवस में ड़िमाण्ड नोट जारी किया जावे।
2. बिड स्वीकृत होने के पश्चात 35 प्रतिशत राशि 240 दिवस में जमा करवायी जावे।
3. शेष 50 प्रतिशत राशि 360 दिवस में जमा करवायी जावे।
4. नीलामी संबंधी पूर्व के ऐसे प्रकरण जिनमें मांग पत्र जारी किया जा चुका है, और राशि जमा कराने की दिनांक 15.03.2020 के पश्चात की निर्धारित है, उनमें राशि जमा कराने की दिनांक 30.09.2020 तक निर्धारित किए जाने की राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अंतर्गत छूट प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

19/6/2020

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी / उप विधि परामर्शी, नविवि।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner